1. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/ पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				पदों की कुल संख्या	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD		
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																					
1	सामान्य प्रशासन विभाग																					
	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	4	3	4	5	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	4	3	4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	गृह (पुलिस) विभाग																					
	उप पुलिस अधीक्षक	5	1	5	5	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	5	1	5	3	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
3	वाणिज्य कर विभाग																					
	वाणिज्यिक कर अधिकारी	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	प्रावधिक भाग (13%)	0*	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	जिला पंजीयक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	सहकारिता विभाग																					
	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	56100-177500
6	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	प्रावधिक भाग (13%)	0*	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग																					
	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपाल अधिकारी,जनपद पंचायत)	4	2	3	4	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	4	2	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
8	विकास खण्ड अधिकारी	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
9	जनसंपर्क विभाग																					
	सहायक संचालक	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	जनजाति कार्य विभाग																					
10	जिला संयोजक / सहायक परियोजना प्रशासक / सहायक संचालक (प्रशासन)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
11	क्षेत्र संयोजक / विकास खण्ड अधिकारी	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग																					
12	सहायक संचालक, खाद्य/जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	महिला एवं बाल विकास विभाग																					
13	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी (कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
15	विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी	12	6	8	10	3	4	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	12	6	8	5	3	4	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	
	प्रावधिक भाग (13%)	5*	0	0	5	0	2*	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
16	राजस्व विभाग																					
	नायब तहसीलदार	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	प्रावधिक भाग (13%)	0*	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

तृतीय श्रेणी कार्यपालिक																						
	वाणिज्यिक कर विभाग																					
17	आबकारी उप निरीक्षक	0	2	1	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	0	2	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	
	प्रावधिक भाग (13%)	3*	0	0	3	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
18	उप पंजीयक	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
19	सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	4	2	3	5	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	36200-114800 (7th pay)
	मुख्य भाग (87%)	4	2	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
20	श्रम विभाग																					
	सहायक श्रम पदाधिकारी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
कुल पद		40	19	30	39	16	11	6	9	13	5	0	0	0	0	0	1	1	1	2	155	

Abbreviations
UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS – Economically Weaker Section
LD- Locomoter Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability

आरक्षण प्रकिया आरक्षण प्रकिया "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

टीप :

अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा । जिसका पूर्णरूपेण जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा ।

स. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिय रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे । जिन पदों हेतु किसी श्रेणी / वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं हैं उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी / वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे । मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे । अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉनक्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व "परिशिष्ट- ।।।" बिन्दु 6 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडो के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

द. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य होना चाहिए।

इ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी) ।

टीप -

1. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकरण दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में जारी किया जाना है, इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार मुख्य भाग 87% (14% अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण एवं संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार प्रावधिक भाग 13% (अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण में उल्लेख किया गया है ।

2.उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध ।